डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड IV
PART II—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 18 1981/चैत्र 28, 1903
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18, 1981/CHAITRA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1981

का. नि. आ. 14-ई.—सशस्त्र सेना (आयात ड्यूटियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा असम में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण, संभरण, संचालन और अनुरक्षण तथा पाइप लाइनों और तेल प्रतिष्ठानों को चलाने से संबंधित प्रत्येक सेवा को समाज के लिए अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती है ।

[फाइल सं. 2(35)/80/डी(जी.एस-1)]

के. ए. नाम्बियार संयुक्त सचिव (जी)

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 1981

S.R.O. 14(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares every service forming part of, or connected with the generation, supply, operation and maintenance of petroleum products and running of oil installation and pipelines in Assam to be a service of vital importance to the community.

[File No. 2(35)/80/D(GS.1)]

K. A. NAMBIAR, Joint Secy. (G)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981